

भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,  
विकास आयुक्त का कार्यालय,  
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई:-400096  
दूरभाष सं. 022-28294799 फैक्स: 022-28291754/1385  
ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in वेबसाईड:www.seepz.org

फा.सं.सीपज़-सेज/सुरक्षा/अनुमती पत्र/07/2016-17/25327

दि. 18-10-2018

सूचना

विषय:- द्वार संख्या - 2 और 3 सुबह 5.45 बजे से हेवी व्हेइकल के लिए खुला रखने संबंधी।

द्वार संख्या-1 के बाहरी बाजू का मेट्रो निर्माण का काम शुरु होने से सीपज़-सेज के बाहरी बाजू कि ट्राफिक / भीड़ के कारण प्रवेश करने वाले कर्मचारी और हेवी वाहनों को होनेवाली असुविधा को मदे नजर रखते उनका प्रवेश सरल सुरक्षित होने हेतू हेवी व्हेइकल को द्वार संख्या - 2 और 3 से सुबह 5.45 बजे से प्रवेश / निकास की अनुमती सीमशुल्क / सुरक्षा के प्रक्रियाओं का अनुपालन करने कि अधिन दी जाती है।

इसकी कालावधी दो माह दिनांक - 19-10-2018 से दिनांक 18-12-2018 तक वैध रहेगी।

इसे मा.विकास आयुक्त महोदय,सीपज़-सेज का अनुमोदन प्राप्त है।



( राकेश राठी )

सुरक्षा अधिकारी

सीपज़-सेज

प्रतिलिपी,

1. विकास आयुक्त कार्यालय,
2. सीमा शुल्क अनुभाग,
3. सुरक्षा अनुभाग,
4. सीपज़-सेज के सभी यूनिट,
5. आयटी अनुभाग सीपज़-सेज वेबसाईड पर अपलोड करे।
6. आउटलुक